131

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :एम.के.सिंह,

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2628–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–05–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 210/2010–11/अपील.

.....

1–राधेश्याम पुत्र श्री मोतीलाल नाथ
2–सियाराम पुत्र मोतीलाल नाथ
निवासीगण ग्राम रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

छोटू पुत्र श्री मोतीलाल नाथ
निवासी ग्राम रायपुरा तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री पी0के0तिवारी, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 19-2-2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–05–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील श्योपुर के ग्राम दलारनाखुर्द में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 31/1 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, सर्वे कमांक 31/3 रकबा 1 विस्वा, सर्वे कमांक 81/2 रकवा 2 बीघा 1 विस्वा, सर्वे कमांक 82/1 रकवा 7 विस्वा कुल रकबा 8 बीघा 17 विस्वा के संयुक्त सर्वे कमांक 110 में निहित है, जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक मोतीलाल के पुत्र आवेदकगण एवं अनावेदक हैं । अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अपने हिस्से के 1/3 भाग का बटवारा किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 49/2008–09/अ–27 पर दर्ज कर

दिनांक 03–12–2009 को आदेश पारित कर प्रकरण में बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 3–12–2009 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 88/2009–10/अपील में दर्ज कर दिनांक 15–04–2011 से अपील अवधि बाह्य मानते हुये निरस्त की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2011 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 210/2010–11/अपील में दर्ज की जाकर दिनांक 24–5–2012 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–2012 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक मोतीलाल नाथ के चार पुत्र है व चौथे पुत्र मुरारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उसे बटवारे में भूमि दी गई है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि प्रत्येक सर्वे नम्बरों में से बटवारा नहीं किया गया है, केवल कीमती भूमि रोड की सर्वे कमांक 82/1 अनावेदक ने पटवारी से सॉठगॉठ कर अपने नाम फर्द बटवारे में करवा ली है । बटवारा फर्दे बदली गई है, और बटवारा फर्दो पर आवेदकगण के हस्ताक्षर व सहमति भी नहीं है । पटवारी द्वारा ऊपरी तौर पर अनावेदक का नाम फर्द बटवारे में दर्ज कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आवेदकगण की साक्ष्य लिये बिना आदेश पारित किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की अपील अवधि बाह्य होने के आधार पर निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की है, क्योंकि तहसील न्यायालय के बटवारा आदेश दिनांक 3–12–09 की जानकारी आवेदकगण को न तो अभिभाषक द्वारा दी गई और न ही न्यायालय द्वारा कोई सूचना दी गई । आवेदकगण को जैसे ही तहसील न्यायालय के आदेश की

जानकारी हुई, वैसे ही आवेदकगण द्वारा नकल आवेदन पेश कर नकल प्राप्त तत्काल अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पेश कर दी गई, आवेदकगण द्वारा जानकारी की दिनांक से समयावधि में अपील पेश की गई थी । अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है तथा जहॉ पक्षकार के साथ अन्याय हुआ हो व उसके हित प्रभावित होते हो, ऐसी स्थिति में समय सीमा पर प्रकरण निरस्त नहीं किया जाना चाहिये । तर्क के समर्थन में 2010 एम.पी.जे.आर.–पेज 10 माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत का उल्लेख किया गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदक द्वारा सॉठगॉठ कर रोड किनारे की कीमती भूमि फर्द में अपने नाम करा ली है, जबकि बटवारे में रोड किनारे की भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक को समान हिस्से अनुसार देना चाहिये थी, इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य समान भाग में फर्द बटवारा के आधार पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा समस्त सर्वे क्रमांकों में समान भाग में फर्द बटांन अनुसार भूमि का बटवारा मृतक मोतीलाल नाथ के विधिक वारिसानों के मध्य करना चाहिये था, जो कि तहसील न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है और न ही तहसील न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बटवारा किया है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर अस्वीकार नहीं कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करना चाहिये था, इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा भी इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार नहीं कर

तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रकरण में उभयपक्षों व विधिक वारिसानों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर फर्द बटांन अनुसार पुनः बटवारा आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–4–2011 तथा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–12–2009 निरस्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में उभयपक्षों व विधिक वारिसानों के मध्य पुनः बटवारा आदेश पारित करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर